बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना हेतु आवश्यक सूचना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा–2015 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्राओं जिन्हें मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृति योजना का लाभ अप्राप्त है वे दिनांक–15–02–2016 तक आवश्यक अभिलेखों यथा मैट्रिक अंक पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बैंक एकाउंट की छाया प्रति जिसमें IFSC Code अंकित हो, के साथ संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर मेधावृति की राशि प्राप्त करेंगे।

2. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2013 एवं 2014 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं, जिन्हें किसी कारण से मेधावृति योजना का लाभ अप्राप्त है। वे भी दिनांक–15.02.2016 तक जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में आवश्यक अभिलेखों यथा मैट्रिक अंक पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बैंक एकाउंट की छाया प्रति जिसमें IFSC Code अंकित हो, जमा करेंगें ताकि आवश्यक जॉचोंपरांत मेधावृति योजना का लाभ दिया जा सके।

3 राज्य के बाहर अध्यनरत छात्र/छात्राओं के अभिभावक आवश्यक वांछित प्रमाण–पत्र यथा मैट्रिक अंक पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र एवं बैंक एकाउंट की छाया प्रति जिसमें IFSC Code अंकित हो, जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगे ताकि आवश्यक जॉचोपरांत संबंधित छात्र/छात्राओं के खातें में RTGS/NEFT के माध्यम से राशि का अंतरण कर योजना का लाभ दिया जा सके।

29/1/2016

सरकार के सचिव।